

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची 834002 (झारखण्ड)

पत्रांक: वि०प्रा०छा०ना०-01/14 - 79

राँची, दिनांक: 24/01/2020

प्रेषक,

डॉ० अरुण कुमार

निदेशक(त०शि०)

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,

JCECEB, नामकुम, राँची

विषय : शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में विभागान्तर्गत सभी राजकीय, निजी एवं पी०पी०पी० मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के रिक्त सीटों (दिनांक 15.08.2019 बाद की अद्यतन स्थिति अनुसार) के विरुद्ध नामांकन हेतु Spot Counseling आयोजित कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 640, दिनांक 24.09.2019, पत्रांक 641, दिनांक 24.09.2019, पत्रांक 651, दिनांक 25.09.2019, पत्रांक 652, दिनांक 25.09.2019 एवं पत्रांक 792, दिनांक 18.12.2019


महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है " Spot Counseling कर औपबंधिक नामांकन छात्र / छात्रों से Undertaking प्राप्त करने के उपरांत करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Simultaneously IA दाखिल करने के शर्त पर किया जायेगा।"

अतः Spot Counseling कराने के क्रम में अनुरोध है कि -

- 1) राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में लगातार Spot Counseling में भाग लेने को इच्छुक अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु विस्तृत एवं स्पष्ट विज्ञापन प्रकाशित किया जाय जिसमें निम्न बिन्दुओं का विशेष उल्लेख किया जाय -
 - क) Spot Counseling के उपरांत अनुशंसित अभ्यर्थियों का नामांकन औपबंधिक होगा।
 - ख) यदि निजी अथवा PPP mode पर संचालित संस्थानों में पूर्व से नामांकित किसी छात्र का Spot Counseling के फलस्वरूप नामांकन हेतु किसी सरकारी अथवा अन्य निजी / PPP Mode वाले संस्थान में होता है तो AICTE के APH 2019-20 की कंडिका 7.13.4 "In case the vacated seat is not filled, the Institution should refund the Security Deposit and return the original documents" के अनुसार पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा करवाई की जायेगी। सरकारी संस्थान में उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क तथा निजी / PPP Mode (Payment Seat) वाले संस्थानों के लिए उन्हें राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क आदि का भुगतान कर फ्रेश नामांकन लेना होगा। PPP Mode (Free Seat) पर नामांकन की अनुशंसा स्थिति में राज्य सरकार के साथ हुए एकरारनामा अनुसार नामांकन शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।

- ग) Spot Counseling से एक सरकारी संस्थान से दूसरे सरकारी संस्थान में नामांकन की अनुशंसा होने पर पूर्व के संस्थान में जमा नामांकन शुल्क का समायोजन संभव होगा।
- घ) Spot Counseling में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को स्वयं एवं अपने पिता / अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि " We under take that based on this spot counseling, the admission will be provisional subject to confirmation only after relaxation is granted with regard to last date of admission by Hon'ble Supreme Court of India."
- ड) विस्तृत जानकारी हेतु अपने वेबसाइट के साथ-साथ Contact Person का मोबाइल एवं ईमेल भी अंकित किया जाय।
- 2) Spot Counseling के पूर्व सभी सरकारी / निजी / PPP Mode पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शाखावार एवं कोटिवार उपलब्ध रिक्त सीट का व्योरा प्राप्त कर JCECEB के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।
- 3) Spot Counseling मेधा एवं राज्य सरकार के आरक्षण नीति अनुसार आयोजित की जाय।
कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र Spot Counseling आयोजित करने की कृपा की जाय।


(डॉ० अरुण कुमार)
निदेशक(त०शि०)